**अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (SC/ST PoA) से संबंधित सवाल**

**Note: SC ST PoA में अभी भी IPC/CrPC का उल्लेख है। परंतु, केन्द्रीय सरकार की notification द्वारा यह स्पष्ट किया गया है की यदि किसी भी कानूनी में IPC / CrPC / IEA के किसी भी धारा का उल्लेख है, तो उसे BNS / BNSS / BSA में उसका समकक्ष धारा माना जाएगा।**

Review case law names

Replace eng citation with hindi

Check correspondence between question without answer and question with answer

1. क्या यह कानून आदिवासी एवं दलित के बीच भेद भाव पर लागू होता है?

**नहीं।**

1. किस प्रकार के अपराध इस कानून के अंतर्गत आते हैं? हो सके तो श्रेणी बताएँ।

**धारा 3 एवं PPT देखिए में दी गई श्रेणी देखें।**

1. यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, तो इस कानून के कौन से धारा के तहत कार्यवाही की जा सकती है? **धारा 4**

धारा 4 के तहत, किन और प्रकार के चीजों के लिए कार्यवाही की जा सकती है? किस के खिलाफ?

**धारा 4(2) में उल्लेखित विभिन्न कार्य न करने पर / इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अधीन उल्लेखित कार्य या जवाबदारी न करने पर कार्यवाही की जा सकती है। कोई भी ऐसे लोक सेवक के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है जिसको इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अधीन कोई जवाबदारी दी गई है एवं वे जानबूझकर यह कार्य नहीं करता।**

**पर यह अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती लोक सेवकों के ऊपर लागू नहीं होता।**

1. यदि कोई सवर्ण आदमी किसी दलित महिला के साथ बालात्कार करता है, तो उसको न्यूनतम कितनी सज़ा मिलेगी?

**SC/ST PoA के धारा 3(2)(v) के अनुसार, यदि कोई ग़ैर SC/ST व्यक्ति किसी SC/ST व्यक्ति के साथ ऐसा अपराध करता है जिसकी न्यूनतम सज़ा भारतीय न्याय संहिता (BNS) में 10 साल हो, यह जानते हुए की पीड़ित SC/ST समुदाय से है, तो उस को आजीवन कारावास की सज़ा होगी। इस प्रश्न में, बालात्कार (BNS धारा 64) की न्यूनतम सज़ा 10 साल है। तथा अपराधी को SC/ST PoA के धारा 3(2)(v) के तहत आजीवन कारावास की सज़ा होगी।**

1. क्या SC/ST PoA के अंतर्गत बलात्कार के केस को स्थापित करने के लिए यह दिखाना जरूरी है की आरोपी ने पीड़ित के साथ बलात्कार इस कारण किया की पीडिता SC/ST है?

**नहीं। धारा 3(2)(v) के अनुसार, यह धारा तब लागू होता है जब कोई ग़ैर SC/ST व्यक्ति किसी SC/ST व्यक्ति के साथ कोई ऐसा अपराध करता है जिस की सजा BNS में 10 वर्ष से ज्यादा हो - *यह जानते हुए* की पीड़ित SC ST है। तथा, यह दिखाना जरूरी है की आरोपी को पीड़ित की जाती की जानकारी थी, परंतु इस धारा के लिए यह दिखाना जरूरी नहीं है की आरोपी ने बलात्कार इस कारण किया की पीड़ित SC ST है।**

**इस अधिनियाम का 2016 में संशोधन हुआ था। 2016 से पहले, धारा 3(2)(v) को लागू करने के लिए यह दिखाना होता था की अपराध इस आधार पर किया गया है की पीड़ित SC ST है। परंतु, 2016 के संशोधन के बाद, केवल पीड़ित की जाती की जानकारी होना धारा 3(2)(v) के लिए काफी है। (अशरफी बनाम ..)**

1. बलात्कार के मामले में महिला को इस अधिनियाम के अंतर्गत कितना मुआवजा मिल सकता है एवं कब?

**इस के लिए नियम की अनुसूची 2 देखिए। \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. इस अधिनियम के तहत मामले कहाँ चलेंगे? अपील कहाँ की जा सकती है?

**इस अधिनियम के तहत केस इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में चलेंगे। अपील हाई कोर्ट में होगी (धारा 14 एवं धारा 14A)**

1. पीड़ित के इस कानून के अंतर्गत कुछ अधिकार बताएँ।

**धारा 15A देखिए**

1. इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की विवेचना किस पद का अधिकारी कर सकता है?

**DySP पद या उसके ऊपर के पद के अधिकारी - नियम 7**

1. रमेश शर्मा (सवर्ण) के घर में एक मंदिर है। शिवरात्रि के दिन सभी गांव वाले वहां जल चढ़ाने जाते हैं। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो दलित है, वह भी वहां जल चढ़ाने जाती है किंतु रमेश की पत्नी उसे मना कर देती है। वे कहती है “तुम दलित हो, तुम मंदिर में नहीं आ सकती हो”। क्या SC/ST PoA का उल्लंघन हुआ माना जाएगा? कौन सा धारा लगेगा?

**हाँ, उल्लंघन हुआ है। धारा 3(1)(za)(C) लगेगा।**

**नोट: रमेश शर्मा का घर पब्लिक स्थल / लोक स्थल नहीं है। मगर, शिवरात्रि के दिन उसका घर सब लोगों के लिए खुला होता है। धारा 3(1)(za)(C) के तहत यह दिखाना जरूरी है की किसी अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती के सदस्य को किसी ऐसी धार्मिक जगह में जाने से मना किया गया है जो उस धर्म के सब लोगों के लिए खुला है। तथा सामान्य तौर पर घर / निजी जगह होते हुए भी, शिवरात्रि के दिन, जब सब लोग पूजा हेतु रमेश शर्मा के घर जा रहे हैं, उसके घर में न जाने देने पर धारा 3(1)(za)(C) लगेगा।**

1. रमेश (सवर्ण) अपने गाँव की दलित बस्ती में जा कर कूड़ा फेंक आता है। इस कानून का कौन सा धारा लगेगा।

**धारा 3(1)(c)**

**नोट: धारा 3(1)(b) एवं धारा 3(1)(c) में अंतर पर ध्यान दीजिए। 3(1)(b) तब लगता है जब किसी अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन जाती के सदस्य के घर/खेती/ किसी भी परिसर की सीमा के अंदर या परिसर के बस बाहर कूड़ा फेंका जाता है।**

**3(1)(c) तब लगता है जब किसी अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन जाती के इलाके में/आस पड़ोस में उस को चोट पहुंचाना के लिए या अपमानित करने के आशय से कूड़ा फेंका जाता है। 3(1)(c) के लिए यह दिखाना जरूरी है की किसी अनुसूचित जाती / जन जाती के व्यक्ति को अपमानित करने के आशय से कूड़ा आस पड़ोस में डाला गया है। 3(1)(b) के लिए आशय दिखाना जरूरी नहीं है।**

1. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में सब आंगनवाड़ीयों मैं दलित रसोइया रखे गए हैं। गांव के सब बच्चों ने वहां खाना खाने से इनकार कर दिया है। क्या इस कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है?

**हाँ, बच्चों के माँ बाप के खिलाफ धारा 3(1)(zc) के तहत कार्यवाही की जा सकती है।**

1. सीता और गोविंद साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों शादी करना चाहते थे। जब गोविंद (सवर्ण) को पता चला कि सीता दलित है, तो उसने सीता से शादी करने से मना कर दिया। गोविंद ने सीता के समीप जाने की कोशिश की किंतु सीता ने उसे धितकार दिया। गोविंद ने बारबार सीता को स्पर्श करने की, उसका गुस्सा शांत करने के लिए कोशिश की। सीता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया उसके बाद सीता ने पुलिस स्टेशन जाकर रपट लिखवा दी। इस में कौन सा धारा लगेगा? क्या गोविंद इस बात का फायदा उठा सकता है कि उन दोनों का पूर्व संबंध था?

**इस में धारा 3(1)(w) लगेगा। मगर, प्रासक्यूशन को तथ्य के आधार पर यह स्थापित करना पड़ेगा की गोविंद का सीता को छूना लैंगिक प्रकार का स्पर्श था।**

**नहीं, गोविंद पूर्व संबंध के आधार पर बचाव नहीं रख सकता – धारा 3(1)(w) का दूसरा परंतु**

**देखिए।**

1. गुजरात पंचायत अधिनियम के तहत सामाजिक न्याय समिति का गठन किया गया गई, जिसकी अध्यक्षता SC समुदाय का व्यक्ति ही कर सकता है। सरकारी परिपत्र के अनुसार गांव से मरे जानवर निकालने की जवाबदारी इस समिति के माथे डाली गई है। कौशल इस समिति का अध्यक्ष है तथा वह यह काम करने से इनकार कर देता है। पंचायत उस पर दबाव बनाती है। क्या वह इस कानून के तहत एक्शन ले सकता है? कौन से धारा के तहत?

**हाँ, धारा 3(1)(i) के तहत। धारा 20 - इस अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना (overriding effect)**

1. गोपाल (आदिवासी) का वन अधिकार अधिनियम कानून के तहत दावा पेंडिंग है। उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। जंगल विभाग वाले (सवर्ण) आकर उस जमीन पर बांस लगा जाते है। क्या इस कानून के तहत उन पर कार्यवाही की जा सकेगी? कौन से धारा के तहत?

**धारा 3(1)(f) या धारा 3(1)(g) के तहत। दोनों लागू हो सकते हैं।**

1. पूजा एवं स्मिता एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। पूजा और स्मिता की काफी समय से लड़ाई चल रही होती है क्यों की पूजा हमेशा स्मिता से ज्यादा marks लाती है। पूजा दलित है, एवं स्मिता सवर्ण। एक रविवार, exam की पढ़ाई करने के लिए, दोनों पूजा और स्मिता कॉलेज की library में आते हैं। रविवार होने के कारण, लाइब्रेरी में केवल पूजा, स्मिता एवं पूजा की दोस्त रेखा होते हैं। स्मिता पूजा को देखती है और उस के पास जा कर उस के साथ जातिगत गाली गलोच करने लगती है। क्या इस में SC/ST PoA धारा लग सकता है। यदि हाँ, तो कौनसा?

**इस में SC/ST PoA का कोई धारा नहीं लगेगा। SC/ST PoA का धारा 3(1)(r) या 3(1)(s) के लिए यह दिखाना जरूरी है की अपमान लोक दृष्टि में हुआ। इस उदहारण में, लाइब्रेरी एक लोक स्थल है - परंतु, यदि वहाँ कोई उपस्थति नहीं था, तो यह नहीं कहा जा सकता की अपराध “लोक दृष्टि” मीन हुआ था।**

**स्वरण सिंह बनाम शासन 2008 में supreme court ने इस चीज को स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा की यह दिखाना जरूरी है की घटना लोक दृष्टि में हुई, एवं न की लोक स्थल में। कोर्ट ने कहा की यदि घटना स्थल पर ऐसे लोग उपस्थित हैं जो स्वतंत्र माने जा सकते हैं (मतलब उन का पीड़ित के साथ कुछ संबंध नहीं है), तो यह माना जाएगा की घटना लोक दृष्टि में हुई है। इस उदाहरण में, घटना लोक स्थल (लाइब्रेरी में हुई), पर आस पास केवल पूजा की दोस्त थी (जो स्वतंत्र व्यक्ति नहीं मानी जाएगी)। तथा, घटना लोक दृष्टि में नहीं हुई एवं SC/ST PoA का धारा 3(1)(r) या 3(1)(s) नहीं लगेगा।**

1. राम दलित है। उसका boss स्वर्ण है। काम में खामी को लेकर उसका boss उसे अपने cabin/office में बुलाता है। राम के पास से जवाब मांगे जाते हैं। उनका जवाब देने के लिए उसे दूसरों का सहयोग चाहिए होता है इसलिए वह अपनी असमर्थता जताता है। Boss उसका बहुत अपमान करता है और जातिगत गाली देता है। राम के boss का cabin की दीवार शीशे की होती हैं एवं उसका कमरा sound-proof होता है (कमरे से बाहर आवाज नहीं जाती)। तथा अन्य office staff राम और उसके boss को देख पाते हैं पर सुन नहीं पाते। क्या इस में SC/ST PoA धारा 3(1)(r) / 3(1)(s) लगेगा?

**यह पूर्ण रूप से तथ्य एवं तर्क पर आधारित है। SC/ST PoA धारा 3(1)(r) / 3(1)(s) के दायरे में आने के लिए यह जरूरी है की जातिगत गाली गलोच लोक दृष्टि में हुआ हो (ऐसे लोग के सामने जो स्वतंत्र माने जा सकते हैं)। यहाँ, घटना स्वतंत्र व्यक्तियों के सामने हुई है (उन्होंने घटना देखी), पर क्यों की उन्होंने गाली गलोच को सुना नहीं, यह कहा जा सकता है की उनको यह जानकारी नहीं थी की राम का बॉस राम को क्या कह रहा था। इस स्थिति में यह शायद नहीं माना जाएगा की अपराध लोक दृष्टि में हुआ है। परंतु, यदि राम के बॉस के व्यवहार से यह स्पष्ट होता है की वे राम को जातिगत गाली गलोच दे रहा था, तब शायद लोक दृष्टि माना जा सकता है। तथा, यह तथ्य ओर आधारित है।**

1. सीता (दलित) और प्रमोद (सवर्ण) है। प्रमोद सीता के facebook wall पर सीता को देते हुए एक पोस्ट करता है। कोई भी व्यक्ति उस post को like या comment नहीं करता है। सीता को facebook पर 500 लोग फॉलो करते हैं। क्या जातिसूचक अपशब्द बोलने का गुनाह बनता है।

**धारा 3(1)(r) / 3(1)(s) के अंतर्गत जातिगत अपशब्द मानने जाने के लिए यह दिखाना जरूरी है की आरोपी ने लोक दृष्टि में गाली दी। यहाँ, प्रमोद ने facebook wall पर मैसेज भेजा है जो सीता को फॉलो करने वाले सब लोग देख सकते हैं। तथा, यह कहा जा सकता है की यह गाली गलोच लोक दृष्टि में की गई है, क्यों की सीता के सब 500 follower यह message देख सकते हैं, जिस में सीता के परिवार / करीबी दोस्त के अलावा भी लोग शामिल है।**

**लेकिन, यहाँ पर किसी ने पोस्ट को like या कमेन्ट नहीं किया। इस लिए यह स्पष्ट नहीं है की क्या किसी और ने भी यह पोस्ट देखा है।**

**इस में दोनों तर्क किए जा सकते हैं। गायत्री बनाम राज्य एवं अन्य में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया की फेस्बूक wall “लोक दृष्टि” मानी जा सकती है यदि पोस्ट को स्वतंत्र साक्षियों ने देखा हो। गायत्री बनाम राज्य केस में कोर्ट ने कहा की क्यों की इस केस में साक्षी की पहचान स्पष्ट नहीं थी, यह PoA की धारा 3(1)(r) / 3(1)(s) में नहीं आएगा।**

1. सुरेश और मीना पड़ोसी हैं। दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े हैं। मीना दलित है और सुरेश सवर्ण। सुरेश मीना के साथ उस को स्पर्श कर के छेड़ छाड़ करता है। कोर्ट में, सुरेश यह बचाव रखता है कि उसको मीना के अनुसूचित जाति के होने के बारे में जानकारी नहीं थी। क्या वे यह बचाव रख सकता है?

**सब से पहले, हमें देखना होगा की इस केस में कौन सा धारा लागू होगा। यहाँ PoA धारा 3(1)(w)(i) लागू हो सकता है क्यों की सुरेश ने मीना को लैंगिक रूप से सपढ़ किया है। साथ ही धारा 3(2)(va) भी लग सकता है क्यों को अवांछनीय लैंगिक स्पर्श BNS धारा 75 (तथा पुराने IPC धारा 354क) में आता है एवं BNS धारा 75 / IPC 354क PoA की अनुसूची 1 में आता है। दोनों तब लागू होते हैं जब यह साबित हो की आरोपी पीड़ित की जाती की जानता तहत।**

**परंतु, धारा 8(c) PoA के तहत, यदि आरोपी पीड़ित या उसके परिवार को पहचानता है, या पीड़ित या उसके कुटुंब का “व्यक्तिगत ज्ञान रखता था”, तो अदालत यह मान लेगी कि आरोपी पीड़ित की जाती को जानता था। सुरेश और मीना पड़ोसी हैं, इस लिए सुरेश के पास मीना यअ उsके परिवार का व्यक्तिगत ज्ञान होगा। इस लिए यह माना जाएगा की सुरेश मीना की जाती को जनता था, एवं वह यह बचाव नहीं रख पाएगा।**

1. अमित ब्राह्मण है और चेतन SC है। चेतन और अमित एक ही गाँव से हैं। चेतन ने गाँव में एक दलित युवाओं की समिति बनाई है। अमित को यह बात पसंद नहीं है, और वे इस कारण एक दिन चेतन के घर जा कर चेतन के साथ मार पीट करता है। लड़ाई के दौरान चेतन का एक दांत टूट जाता है। अमित पर कौन सा धारा लगेगा और कितनी सज़ा मिलेगी?

**SC/ST PoA का धारा 3(2)(va) लगेगा। यह धारा तब लगता है जब किसी ग़ैर SC/ST व्यक्ति द्वारा किसी SC/ST व्यक्ति के खिलाफ ऐसा अपराध किया जाता है जो की PoA अधिनियम के अनुसूची 1 में उल्लेखित हो। उस में वहीं सजा मिलती है जो BNS में दी गई हो।**

**तथा, हमें पहले देखना होगा की यह अपराध BNS के कौन से धारा के अंतर्गत आता है? फिर यह देखना होगा की क्या यह धारा PoA की अनुसूची 1 में आता है।**

**यहाँ अमित ने चेतन के साथ मार पीट की है, जिस के कारण चेतन का दांत टूट जाता है। BNS का index पढ़ कर हमें यह समझ आता है की मार पीट या चोट धारा 114 - 125 के बीच किसी धारा में आएगा। धारा 114 - 125 में विभिन्न प्रकार की चोट की बात की गई है, जिस में से 114 चोट की परिभाषा है, एवं 116 गंभीर चोट की परिभाषा। है। धारा 116 में गंभीर चोट के कुछ माप दंड दिए गए हैं - जिस में से एक दांत टूटना है (116(g))। क्यों की यहाँ चेतन का दांत टूटा है, यह BNS धारा 116 के तहत गंभीर चोट मानी जाएगी। BNS का Index और देखने पर समझ आता है की, गंभीर चोट के परिभाषा धारा 116 में है, एवं गंभीर चोट की सजा + दंड BNS धारा 117 में है (जिस में 7 साल तक की सजा है)**

**अभी PoA की अनुसूची देखिए। पुराने IPC का धारा 325 अनुसूसची में आता है, जो नए BNS में धारा 117 हा। तथा, PoA का 3(2)(va) लागू होगा, एवं इस में उतनी ही सजा मिलेगी जितनी धारा 117 के लिए BNS में है (7 साल)**

1. राम आदिवासी है। फॉरेस्ट ऑफिसर (जो कि स्वर्ण है) द्वारा मारपीट में उसकी मौत हो जाती है। राम की बेटी प्रीति public prosecutor की कार्यवाही से नाखुश है, तथा कुछ witness और कुछ दस्तावेजों को कोर्ट के समक्ष पेश करना चाहती है।
   1. क्या उसको यह अधिकार प्राप्त है?

**हाँ, धारा 15A(4) के तहत**

* 1. यदि वे लिखित तर्क देना चाहती है, क्या वे यह कर सकती है? यदि हाँ, तो प्रीति द्वारा ट्रायल के दौरान लिखित तर्क कब दिया जा सकता है?

**हाँ, कन्विक्शन, अक्विटल एवं सेन्टेनसींग के स्तर पर (धारा 15A(5))**

1. अंकित सवर्ण है। एक दिन, वे गीता (जो की दलित है) के गाँव की दलित बस्ती से अपनी bike लेकर जा रहा होता है। जैसे ही गीता college से निकलती है, अंकित उसे देखता है और bike से “चमार” शब्द चिल्लाता है। आस पास दुकान एवं सड़क पर विभिन्न लोग होते है।

* इस में कौन सा धारा लगना चाहिए?
  + **SC/ST PoA धारा 3(1)(r) एवं धारा 3(1)(s)**
* जब गीता FIR दर्ज करवाने जाती है, तो पुलिस atrocity का धारा लगाने से इनकार कर देती है यह कहते हुए की गीता के पास अंकित की जाती का कोई सबूत / प्रमाण पत्र नहीं है। क्या यह उचित है? कारण के साथ बताइए।
  + **नहीं। आशाबाई मचीन्द्र अढ़गले v. महाराष्ट्र में Supreme Court ने कहा की FIR के स्तर पर सारे तथ्य जानने एवं इन तथ्यों की विश्वसनीयता जानने की जरूरत नहीं है। आरोपी की जाती जांच के दौरान सुनिश्चित की जा सकती है। तथा, पुलिस FIR इस कारण दर्ज करने से माना नहीं कर सकती की आरोपी की जाती का प्रमाण नहीं है।**
* अंकित यह तर्क करता है की उसने गाली नहीं दी, परंतु केवल गीता की जाती का उचार किया है। इस लिए SC/ST PoA नहीं लग सकता। क्या वे यह बचाव रख सकता है? कारण के साथ बताइए।
  + **नहीं। अरुमगम सर्वाइ बनाम तमिल नाडू में Supreme Court ने यह स्पष्ट किया की किसी की जाती का उचार उसे अपमानित करने के आशय से किया जाता है, तो वे इस अधिनियम के दायरे में आता है।**

1. महेंद्र (जो की ब्राह्मण है) एक ऐसे संगठन से है जो जातिगत सोच रखते हैं। वे पिछले 2 साल से अपने गाँव के बाहर रह रहा है। साहिल (जो की दलित है) महेंद्र के गाँव से है। महेंद्र और साहिल का गाँव राज्य सरकार द्वारा **SC/ST PoA के धारा 21(2)(vii) atrocity prone क्षेत्र घोषित किया गया है।**

साहिल की शादी होने वाली है, जिस में वे घोड़ी पर बैठ कर बारात निकालने वाला है। साहिल को पता चलता है की महेंद्र और उसके साथी शादी के दिन साहिल को घोड़ी पर बारात निकालने से रोकने के लिए गाँव आने की तैयारी कर रहे हैं।

* + महेंद्र और उसके साथी को गाँव में आने से रोकने के लिए साहिल के पास क्या उपाय है?
    - **धारा 10 के तहत महेंद्र को गाँव में आने से रोकने हेतु Atrocity विशेष न्यायालय में शिकायत की जा सकती है।**

**नोट: यह केवल तब किया जा सकता है जब किसी को ऐसे क्षेत्र में आने से रोकना हो जो संविधान Art 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र हो या जो SC/ST PoA के धारा 21(2)(vii) के तहत राज्य सरकार द्वारा atrocity prone क्षेत्र घोषित किया हो।**

* + महेंद्र और उसके साथी को गाँव में आने से रोकने की सत्ता किस तंत्र के पास है?
    - **Atrocity विशेष / अनन्य विशेष न्यायालय (SC/ST PoA धारा 10)**
  + महेंद्र और उस के साथी को कितने समय तक गाँव में प्रवेश करने से प्रताबंदित किया जा सकता है?
    - **3 साल (SC/ST PoA धारा 10)**